भारतीय युवा बनाएंगे "आज का भारत" और "नया भारत": श्री राजीव चन्द्रशेखर

नई दिल्ली, 7 फरवरी 2024: कुशल जनशक्ति के साथ बढ़ते लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करने के विज़न से, माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, ई एंड आई टी, कौशल विकास और उद्यमशीलता और जल शक्ति ने मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना के पहले बैच के 11 उम्मीदवारों को सम्मानित किया। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (एलएससी), परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार, एक वर्ष के भीतर 960 उम्मीदवारों को वेयरहाउस मैनेजर, वेयरहाउस सुपरवाइजर और वेयरहाउस एसोसिएट जैसी जॉब रोलों में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें प्रशिक्षण पूरा होने और प्रमाणन के उपरांत इस क्षेत्र के भीतर और उससे आगे नियोजन के अवसर होंगे।

पश्चिम बंगाल भारत में एक प्रमुख मानव संसाधन केंद्र है, यह राज्य भारत में चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला और दूसरा सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसमें शेष भारत के लिए प्रशिक्षित और गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का स्रोत बनने की क्षमता है। पश्चिम मेदिनीपुर जैसे संगठित रोजगार वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावना और कम व्यावसायिक प्रशिक्षण घनत्व वाले जिलों को बी2सी और बी2बी व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा लक्षित किया जा रहा है।

इस अवसर पर वक्तव्य देते हुए, माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, ई एंड आई टी, कौशल विकास और उद्यमशीलता और जल शक्ति ने कहा, “मैं आज सभी छात्रों को बधाई

देना चाहता हूं, यह हमारे लिए उत्सव का क्षण है। आजादी के बाद यह पहली बार है कि जब जॉब और उद्यमशीलता की बात आई है तो युवा भारतीयों को इतने अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें जन प्रतिनिधियों, सरकार और उद्योग के बीच एक सुदृढ़ भागीदारी शामिल है। यह विगत 10 वर्षों में हुए प्रयासों के कारण है कि हम "आज का भारत" और "नया भारत" बनाने के लिए युवा भारतीयों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन करने में सक्षम हुए हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत उद्योग भागीदारी के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए बेहतर परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस तरह की परियोजनाएं न केवल बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, बल्कि 70% - 75% के करीब नियोजन दर प्रदान करने का भी लक्ष्य रखती हैं। ये नियोजन लाभार्थियों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने हेतु राज्य के भीतर और भारत के अन्य भागों में दिए जाते हैं।